

भारतीय वायु सेना/INDIAN AIR FORCE
वायु सेना स्टेशन आगरा
घास काटने का ठेका 2024-2025

1. वायु अफसर कमांडिंग वायु सेना स्टेशन आगरा, भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से अनुमोदित ठेकेदारों को घास काटने का ठेका 2024-2025 (ठेका की समय अवधि ठेकेदार के घास काटने का ठेका शुरू होने से एक वर्ष के लिए मान्य है)। कार्यों की प्रकृति घास काटने का काम जैसे कैम्प क्षेत्र से घास कटाई एवं उसको वहां से हटाना होगा एवं ले जा भी सकते हैं। ("वृक्षों की टहनियों को काटना एवं ले जाना प्रतिबंधित है।") ठेकेदारों को इस परिपत्र में भाग लेने के लिए नीलामी में घास काटने का ठेका 2024-2025 दिनांक 14 मार्च 24 को स्टेशन आर्ग अफसर ऑफिस, वायु सेना स्टेशन आगरा में भाग लेने हेतु इच्छुक ठेकेदार को पेन कार्ड, आयकर निपटान प्रमाण पत्र (बिना आय गैर करयोग्य राशि का घोषणा स्टाम्प ऐफीडेविट), स्थायी पता, पहचान पत्र सभी की (मूलप्रति एवं छायाप्रति) तथा जमा राशि रूपये 28800/- (Rupees Twenty Eight Thousand Eight Hundred Only) की डीडी/एफडीआर एयर फोर्स पब्लिक फण्ड एकाउंट आगरा (DD/FDR in favour of "Air Force Public Fund Account Agra" payable at Agra) के नाम से बनाके लाना है। सभी भाग लेने वाले ठेकेदारों को समय 1000 बजे अजीत नगर गेट के माध्यम से आना है।

2 वायु आफिसर कमांडिंग, वायु सेना स्टेशन आगरा के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये, घास की बोली/ ठेका को निरस्त कर सकते हैं।

Cbc- 10802/11/0067/2324